2026:RJ-JD:14173

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3592/2026

Parasmal Alias Pappu S/o Kaluram Chordia, Aged About 58 Years, Near Middle School Asind Police Station Asind District Bhilwara Rajasthan (At Present Lodged In Sub Jail Shahpura)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vinay Jain Mr. Darshan jain
For Respondent(s)	:	Mr. Urjaram kalbi, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

<u>Order</u>

<u>25/03/2026</u>

01. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस पुलिसथाना आसीन्द जिला भीलवाड़ा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 296/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 326(जी) भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत हुआ है।

02. मैंने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी–अभियुक्त पर रात्रि के समय मुस्तगीस के द्वारा किरायेसुदा दुकानों पर आग लगाने का आरोप है। वास्तव में प्रार्थी–अभियुक्त की मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, जिसका इलाज चल रहा है। इलाज के कागजात अवलोकन हेतु दौरान बहस पेश किये गये। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत किया कि इस मामले में प्रार्थी–अभियुक्त के पुत्र द्वारा किरायेदारों के हुए नुकसान की भरपाई हेतु उनको रकम अदा कर दी है। इस संबंध में किरायेदार तेजमल गूर्जर, पूनम जैन, प्रहलाद कुमार छींपा द्वारा राजीनामा प्रार्थी–अभियुक्त के पुत्र के साथ कर लिया है। राजीनामे की प्रति अवलोकन हेतु पेश कर बताया कि किरायेदारों की भरपाई का उल्लेख राजीनामा में अंकित है। विचारण में समय लगने की सम्भावना है। इन आधारों पर प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।

05. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। दौराने बहस प्रस्तुत इलाज के कागजात व तथाकथित राजीनामा का अवलोकन किया। आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति व परिस्थितियों में प्रार्थी–अभियुक्त को इस न्यायालय की राय में जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी–अभियुक्त **पारसमल उर्फ पप्पु पुत्र कालुराम** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रूपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

138-S N LOHRA/-